

मांग संख्या 14
मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 1

छत्तीसगढ़ कुक्कुटपालन प्रोत्साहन योजना हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 50.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2

भेड़पालन एवं ऊन संवर्धन बोर्ड के गठन हेतु आकस्मिकता निधि से ₹100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है, यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।